

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई
(ओ 20 ए 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी
इजलास रामसिंह राजावत आर.ए.एस.

गजेन्द्र

बनाम


राजेन्द्र बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट


मुकदमा नम्बर 78/05

वादी की ओर से श्री सुखराम सिंह परमार एड0 प्रतिवादीगण की ओर से श्री दिलीप शर्मा एड0 की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 09.02.2024 को रामसिंह राजावत (आर.ए. एस.)

अतः वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुरे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अंतिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम पूठपुरा तहसील बसेडी में पक्षकारान के नाम एवं आराजी खसरा नम्बर विभाजन प्रस्ताव अनुसार रहेगे विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अगं रहेगे।


(रामसिंह राजावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	-	-	-
5.साक्षियों के लिए निर्वाह -व्यय			
6.कमिश्नर की फीस			
7.आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (पूठपुर) राज.